

Ebony Green #243

403

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:आर-17/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-12(गाजि०)/

177.

दिनांक: अप्रैल

5

2017,

सेवा मे,

नगर नियोजक,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि० द्वारा प्लॉट नं० जी०एच०-02, पॉकेट-01, (खसरा नं०-2786, 2788 से 2792 तक 2857 से 2864, 2870 से 282873 एवं 3021) ग्राम शाहपुर बम्हैटा, जनपद गाजियाबाद उ०प्र० पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (ब्लॉक-डी०) के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
यूआईडी-2015/10234/जीजैडबी/गाजियाबाद/611/जे०डी०।

सन्दर्भ:

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री आर०के० यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या पत्रांक: आर-7/एफएसके-2012 दिनांक: 27-03-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को प्रेषित की गयी तथा उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा गठित कमेटी को पत्रावली प्रेषित की गयी आख्या कमेटी पत्रावली परीक्षणोपरान्त दिनांक: 30-03-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा पत्रावली का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई तथा समस्त आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-47,100.00 वर्ग मी०।

3-प्रस्तावित बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-3747.60 वर्ग मी० है, जिसमें प्रस्तावित ब्लॉक/टावर का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क०स०	नाम टावर/ब्लॉक	तलों का विवरण	ब्लॉक संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई मी०।	ऊँचाई मी०।
1	टावर-डी०	बेस०+भूतल+08 तल	02	245.369	9363.387	02 अदद 01.50/01.50	26.80

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन०बी०सी०-2005 की ए०-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-प्रश्नगत भवन के सामने 18.00 मीटर चौड़ा रोड प्रदर्शित है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर प्रदर्शित है।

3-सैटबैक:- प्रस्तावित भवन के सैटबैक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-11.50 मीटर।

बी०-पृष्ठभाग-11.50 मीटर।

सी०-पार्श्व प्रथम-11.50 मीटर।

डी०-पार्श्व द्वितीय-11.50 मीटर प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियामक 2008 यथा संशोधित-2011 के अनुसार है। भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओं हेतु 06.00 मीटर चौड़ाई का हार्ड सरफेस युक्त मोटोरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयर की चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। इण्टरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन०बी०सी० के

For Sale Saamag Realty Private Limited

संयुक्त निदेशक,
 स०प्र० लखनऊ

404

भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एनबीसी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबीसी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

5-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एनबीसी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवनों में एनबीसी0 2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।

1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एनबीसी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

2-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एनबीसी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

3-ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम:- प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम एनबीसी0 एवं सम्बन्धित मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

4-मैनुवेल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में मैनुवेल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एनबीसी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।

6-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम/मैकेनिकल वेन्टीलेशन एनबीसी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

7-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एनबीसी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

8-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम एनबीसी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एनबीसी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

10-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एनबीसी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

11-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एनबीसी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

12-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एनबीसी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

13-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्लॉट नं0 जी0एच0-02, पॉकेट-01, (खसरा नं0-2786, 2788 से 2792 तक 2857 से 2864, 2870 से 282873 एवं 3021) ग्राम शाहपुर बम्हैटा, जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (ब्लॉक-डी0) के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल कम्पाउंडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/साथ ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

For Sale Saamag Realty Private Limited

[Signature]

Authorised Signatory

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

4-मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्लॉट नं0 जी0एच0-02, ग्राम शाहपुर बम्हैटा, जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 245/मा.प्लान/2012/914/जोन-2/2011-12

दिनांक : 24-11-2011

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मै. सामग कन्स. लि. (कन्सॉर्शियम)
द्वारा श्री दिनेश पाण्डेय
बी-72, सैक्टर-57, नोएडा।

कृपया ग्राम शाहपुर बम्हेटा में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत मानचित्र पत्रावली संख्या 914/जोन-2/2011-12 दिनांक 12.10.2011 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय पुनरीक्षित तलपट मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 15.11.11 को प्रदान की गयी है। तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्ध/ शर्तें आपको मान्य होंगी-

1. तलपट मानचित्र की वैधता दिनांक 14.11.2016 तक है।
2. पूर्व में निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट दिनांक 23.02.07 की समस्त शर्तों का पालन करना होगा तथा सभी विकास कार्य डवलपमेंट एग्रीमेंट में निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत ही पूर्ण करने होंगे।
3. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय (जैसे-नगर निगम, जी.डी.ए.) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
4. तलपट मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 04.10.2011 का अनुपालन करना होगा।
5. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके। समस्त निर्माण/ विकास कार्य स्वीकृत मानचित्रों, स्पेसीफिकेशन तथा अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार ही कराना होगा।
6. योजना के विकास करने की अनुमति विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्तियों के आधार पर दी जाती है। यदि प्राप्त अनापत्तियों पर कोई विवाद होता है अथवा कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
7. तलपट मानचित्र की स्वीकृति केवल विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि पर ही अनुमन्य की गयी है अन्य की भूमि क्रय करने तक अन्य की भूमि पर केवल लैण्ड यूज माना जायेगा।
8. योजना में यदि शमशान/कब्रिस्तान /पूजा/तालाब इत्यादि की कोई भूमि पड़ती है तो उसे यथावत रखना होगा।
9. कूड़ा निस्तारण हेतु मानचित्र में प्रदर्शित डस्टबिन के स्थल को आरक्षित करना होगा।
10. योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक व बाह्य विकास कार्य निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।

For Sale Saamag Realty Private Limited

Authorised Signatory

11. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुलिस चौकी, इलैक्ट्रिक सब स्टेशन, एस.टी.पी. एवं डस्टबिन आदि के लिये आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
12. योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत भूखण्ड/भवन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग एवं 10 प्रतिशत भूखण्ड/भवन अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा निर्धारित लागत पर एवं निर्धारित मानकों के अनुसार विकसित/निर्मित कर उपलब्ध कराये जाएंगे। इन भूखण्डों/भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गों के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
13. प्रश्नगत मानचित्र के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि का जब तक विधिवत पुनर्गठन नहीं हो जाता है तब तक विकासकर्ता उसे यथावत रखेगा। जिसका पूर्ण स्वामित्व नगर निगम / जिलाधिकारी गाजियाबाद का होगा तथा उक्त भूमि पर कोई निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
14. भू-स्वामित्व सम्बन्धी प्रस्तुत अभिलेखों/तथ्यों की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी किसी भी प्रकार के भ्रामक/गलत तथ्य पाये जाने पर दी गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी।
15. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु कुल विक्रय योग्य भूमि का 25 प्रतिशत भूमि प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखे जाने अथवा 25 प्रतिशत भूमि की लागत के समतुल्य बैंक गारण्टी रखे जाने का प्राविधान है जिस हेतु रु.4.75 करोड़ की बैंक गारन्टी आप द्वारा पूर्व में प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 19.02.13 तक है। उक्त बैंक गारण्टी की वैधता अवधि नियत अवधि में बढ़वानी होगी।
16. बन्धक रखी गयी बैंक गारण्टी में से 20 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि की लागत के समतुल्य बैंक गारण्टी को तभी अवमुक्त किया जाएगा, जब परियोजना के सभी विकास कार्य एवं शर्तें पूर्ण हो गयी हों, विशेषकर विकासकर्ता द्वारा भूगर्भ जल संरक्षण (वाटर रिचार्ज) व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित कर दी गयी हो कि दोहन किये गये जल के सापेक्ष 120 प्रतिशत की रिचार्जिंग के माध्यम से आपूर्ति हो गयी हो।
17. बन्धक रखी गयी बैंक गारण्टी में से 5 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि की लागत के समतुल्य बैंक गारण्टी को शासन की अपेक्षानुसार रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परफोरमेंस गारन्टी के रूप में रोककर रखा जायेगा। योजना का समुचित रूप से एवं सतत आधार पर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता तथा प्राधिकरण के मध्य ज्वाइंट वेंचर हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। आवंटियों से वसूल की जाने वाली एकमुश्त अनुरक्षण की धनराशि तथा वार्षिक यूजर चार्ज 'एस्क्रो एकाउन्ट' में जमा किए जायेंगे। टाउनशिप की सेवाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य विकासकर्ता द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे तथा ज्वाइन्ट वेंचर द्वारा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु एकत्रित धनराशि अनुमत्य कार्यों पर ही व्यय की जाए।

For Sale Seemag Realty Private Limited

 Authorised Signatory

18. पुनरीक्षित तलपट मानचित्र केवल विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि पर ही अनुमोदित किया गया है अतः सभी शुल्क विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन 67.91 एकड़ भूमि पर ही आंकलित कर सूचित किये गये हैं। योजनान्तर्गत शेष भूमि क्रय/एसेम्बल करने के उपरान्त सम्पूर्ण योजना का तलपट मानचित्र अन्तिम रूप से स्वीकृत कराया जायेगा। जिस हेतु देय शुल्क तत्समय प्रभावी नियमों एवं शर्तों के अधीन देय होंगे।
19. भवनों/भूखण्डों के कब्जा हस्तान्तरण का अधिकार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राप्त होगा।
20. पूर्व में मैट्रो सेस के सम्बन्ध में दी गयी अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
21. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास यथा महायोजना मार्गों आदि का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर नियत अवधि में प्राधिकरण को देय होगा।
22. अनार्जित भूमि अथवा अन्य के स्वामित्व की भूमि पर किसी भी प्रकार के विकास/निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
23. निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
24. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उ.प्र. सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति दिनांक 26.12.07 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का विकासकर्ता को पालन करना होगा।
25. गेल (GAIL) द्वारा जारी अनापत्ति दिनांक 22.12.08 में निर्धारित मानकों का अनुपालन करना होगा।
26. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त कर तीन माह में प्रस्तुत करनी होगी।
27. सिंचाई विभाग आदि सम्बन्धित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
28. तलपट मानचित्र स्वीकृति उपरान्त समस्त भूखण्डों का नियमानुसार भवन मानचित्र प्राधिकरण से अलग से स्वीकृत कराने होंगे। जिस पर तत्समय प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधान तथा शुल्क लागू होंगे।
29. भविष्य में यदि प्राधिकरण द्वारा कोई बढ़ा हुआ शुल्क अथवा अन्य कोई शुल्क मांगा जाता है तो वह विकासकर्ता को जमा कराना होगा।
30. एच.टी.लाइन के नीचे अथवा इससे प्रभावित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। भवन उपविधि के अनुसार एच.टी. लाइन से निर्धारित दूरी छोड़कर निर्माण करना होगा।
31. पेय जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
32. भवन उपविधि 2008 के प्रस्तर 2.2.3 के प्राविधानों के अनुसार योजना में वृक्षारोपण का कार्य कराना होगा।
33. वर्षा जल संचयन हेतु नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा।
34. भवन उपविधि-2008 के प्रस्तर 2.4.1 की क्रम संख्या 7 के अनुसार क्रीडा क्रियाओं हेतु वांछित स्थलों का प्राविधान ओपन स्पेस /ले-आउट ग्रीन में करना होगा।
35. इस स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

For Sare Saamag Realty Private Limited

 Authorised Signatory